The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2005/आषाढ़ 31, 1927

No. 324]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2005/ASADHA 31, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शब्द्रिपत्र

नई दिल्ली. 22 जुलाई. 2005

सा.का.नि. 496(अ). — भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) दिनांक 31-5-2005, [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2005], में :—

नियम 1 (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(2) ये 2 अक्तूबर, 2005 को प्रवृत्त होंगे।''।

[फा. सं. पी-16012/1/2005-पी एच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd July, 2005

G.S.R. 496(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, No. G.S.R. 345 (E) dated 31-5-2005, [Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment) Rules, 2005], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary:—

For rule 1(2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) They shall come into force on the 2nd day of October, 2005.".

[F. No. P-16012/1/2005-PH] BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.